न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर
पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—74 / 19 (2019 / 00044) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—मगनी पत्नि मांगीलाल जाट निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीया

बनाम

1—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट.

उपस्थित

1.—फारूख मोहम्मद

अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 24.12.2019

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम केमुणिया तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार व कब्जे कास्त की आराजी संख्या 1770 रकबा 0.44 है0 भुमि अन्य आराजियात के साथ दर्ज रेकार्ड उक्त आराजियात के उत्तर की और बिलानाम आराजी नम्बर 1760 रकबा 0.74 है0 भुमि स्थित हक इस बिलानाम भूमि से उत्तर की ओर मुख्य सड़क गंगापुर से रायपुर जाने वाली स्थित है जिससे होकर प्रार्थीया अपनी आराजी 1770 में होकर आती जाती है लेकिन विगत 3 वर्ष से उक्त बिलानाम आराजियात पर कालबेलिया जाति के लोगो ने अतिक्रमण कर रास्ते को बन्द कर दिया जिसकी प्रार्थीया ने पुलिस थाना रायपुर में रिपोर्ट दी है लेकिन भूमि बिलानाम होने से प्रार्थीया ने राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज करने हेतु आवेदन पेश किया प्रार्थीया की आराजियात में आवागमन करने का एकमात्र रास्ता विपक्षी की बिलानाम आराजी नम्बर 1760 ही है अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है प्रार्थीया को अपनी खातेदारी आराजी संख्या 1770 मे आने जाने हेतु 15 फीट चोड़ाई में रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे नियमानुसार डीएलसी की दुगुंनी राशि रास्ते की भूमि के बदले जमा कराने को तैयार है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 12.06.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 की ओर से बिलानाम आराजी में रास्ता दिया जाने हेतु रिपोर्ट पेश जिसमें विपक्षी को कोई अपत्ति नही है।

प्रकरण में प्रार्थीया अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीया ग्राम केमुणिया में अपनी खातेदारी आराजी नम्बर 1770 रकबा 0.44 है0 में आवागमन हेतु बिलानाम आराजी नम्बर 1760 मे से रास्ता दिलाया जावें नियमानुसार राशि जमा कराने को तैयार है।

प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार रायपुर से रिपोर्ट ली गई जो शामिल पत्रावली की गई।

मैने पत्रावली व उसमे प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया जो पाया कि प्रार्थीया के नाम स्थित खातेदारी भूमि 1770 में आने जाने हेतु विपक्षी आराजी नम्बर 1760 के पश्चिमी मेड़ के सहारे सहारे रास्ता दिया जाना हेतु विपक्षी को कोई आपत्ति नही और तहसीलदार रायपुर के

द्वारा इसके अलावा ओर कोई वैकल्पिक रास्ता नही होना बताते हुए प्रस्तावित रास्ते को नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया इसी के साथ यह भी अंकित किया कि रास्ते की भूमि में आशिंक भु भाग पर श्रवण नाथ पिता देवानाथ कालबेलिया के द्वारा अतिक्रमण कर रखा था जिसके विरूद्व एल.आर.एक्ट व धारा 91 के तहत्प्रकरण संख्या 47/19 दर्ज कर निर्णय दिनांक 14.11.2019 से बेदखल कर दिया गया है। उक्त रास्ते की भूमि बिलानाम आराजी नम्बर 1760 रकबा 74 है0 मे से होकर 5 मीटर चौड़ाई में 105 मीटर की लम्बाई तक कुल 525 वर्गमीटर भूमि के क्षेत्र में जाता है जो आराजी नम्बर 1770 तक पंहुचता है। उक्त आराजी की वर्तमान डीएलसी दर 52000/—रूपये प्रति बिघा होने से प्रस्तावित रास्ते की भूमि 525 वर्गमीटर की राशि 12635/—रूपये का दुगुना करने पर 25270/—रूपये रास्ते की भूमि की किमत बनती है जो प्रार्थीगण द्वारा राजकोष में बतौर मुआवजा भुगतान करने पर प्रस्तावित रास्ता बिलानाम दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिया जाता है कि ग्राम केमुणिया तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीया की खातेदारी आराजी नम्बर 1770 में आने जाने हेतु विपक्षी संख्या 1 की आराजी नम्बर 1760 रकबा 74.0 है0 **मे से रकबा 0.0525 है0** भूमि की बाजार दर 52000/—रूपये प्रति बिघा के अनुसार प्रस्तावित रास्ते की भूमि 525 वर्गमीटर की राशि 12635/—रूपये भूमि की किमत बनती है जिसका दुगुना करने पर 25270/—रूपये भूमि की मुआवजा राशि बनती है जिसका प्रार्थीया द्वारा राजकोष में बतौर मुआवजा भुगतान करने पर विपक्षी की आराजी नम्बर 1760 के पश्चिमी मेड़ के सहारे सहारे पर आम रास्ते से 5 मीटर चौड़ा व 105 मीटर लम्बा रास्ता बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

24.12.19

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाडा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2019.12.28 11:29:06 IST
Reason: SelfAttested
Location: